आदेश की कम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
05/06/18	**न्यायालय आरबीट्रेटर सह अपर समाहर्त्ता, पटना** **विवाचन वाद सं0–06/2016** **देवनन्दन प्रसाद सिंह बनाम सरकार** प्रस्तुत वाद कि कार्यवाई NH-30 पटना कोईलवर (NH-30-84 पटना–बक्सर) फोरलेन विस्तारिकरण अन्तर्गत LA Case No.-61/2012–13 द्वारा अर्जित मौजा कुरकुरी, थाना नं0–36 अन्तर्गत अर्जित खाता सं0–39, खेसरा सं0–780 के प्रभावित रैयत द्वारा सांत्वना राशि 60% के स्थान पर 30% दिये जाने एवं उन्हे भुगतान किये गये कुल मुआवजा राशि उनके अनुसार कम होने के कारण विवाचन वाद दायर किया गया है। दायर विवाचन वाद से सम्बन्धित भूमि का भू–अर्जन कि कार्यवाई निम्न प्रकार से की गई है:– 1) मौजा–कुरकुरी, थाना नं0–36 रकवा– 0.150792 ए0 2) धारा–3 (A) के तहत अधिसूचना–1492 (अ) दिनांक 04.07.2012 3) धारा–3 (D) के तहत अधिसूचना– 143 (अ) दिनांक 14.01.2013 4) धारा 3 (G) के तहत प्राक्कलन स्वीकृति – 3420 दिनांक 24.09.2014 5) दखल–कब्जा कि तिथि– 20.06.2013 वादी देवनन्दन प्रसाद सिंह द्वारा अपने परिवाद आवेदन में मूल रूप से दावा (1) सांत्वना राशि 60% के स्थान पर 30% मिला है। (2) मुआवजा राशि वर्त्तमान दर पर 37,50,000.00 (सैंतीस लाख पचास हजार) होता है, के स्थान पर 22,98,595.00 (बाईस लाख अन्ठान्वे हजार पाँच सौ पन्चान्वे) रूपये मात्र मिला है। वादी के दावा के संदर्भ में NHAI कि ओर से परियोजना निदेशक द्वारा कहा गया कि वादी की भूमि खेसरा सं0–780 जो मौजा–कुरकुरी में अवस्थित है, का भारत के राजपत्र में कार्यालय आदेश सं0 1492(E) दिनांक 04.07.2012 को हुआ है, जबकि वादी द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने का शपथ पत्र 03.07.2012 को ही समर्पित कर दिया गया है,	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	जो स्वीकार योग्य नहीं है। परियोजना निदेशक द्वारा आगे कहा गया कि अर्जित भूमि की प्रकृति का निर्धारण भू–अर्जन प्रक्रिया अन्तर्गत निहित प्रावधान का अनुपालन करते हुए छः सदस्यीय प्रकृति निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 03.02.2012 को स्थल निरीक्षण के पश्चात किये गये अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी सह जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा की गई है। परियोजना निदेशक द्वारा आगे कहा गया कि वादी को मुआवजा राशि का भुगतान नियमानुसार किया गया है। उनके द्वारा वादी के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। सक्षम प्राधिकारी सह जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा कहा गया कि परियोजना निदेशक डी–63, श्रीकृष्णापुरी से प्राप्त अधियाचना के आलोक में NH Act.-1956 के तहत परियोजना पटना–कोईलवर (पटना–बक्सर) अन्तर्गत मौजा–कुरकुरी, थाना नं0–36 अंचल – फुलवारी शरीफ में कुल रकवा–8.721 हेक्टेयर यानि 21. 558312 एकड़ के भू–अर्जन कि कार्यवाई L.A. Case No.- 61/2012–13 द्वारा कि गई है। उक्त भू–अर्जन हेतु NH Act. 1956 कि धारा 3A के तहत अधिसूचना सं0–1492 (अ) दिनांक 04.07.2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, जिसका सार्वजनिक सूचनार्थ नियमानुसार दो स्थानीय समाचार पत्र प्रभात खबर (हिन्दी) में दिनांक 19.08.2012 को एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) में दिनांक 23.08.2012 को प्रकाशित हुआ। नियमानुसार 3(A) के तहत Notification के पश्चात 21 दिनों के अन्दर स्वेच्छा शपथ पत्र जमा करने का प्रावधान है, जबकि वादी द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने का शपथ पत्र दिनांक 03.07.2012 को ही समर्पित करने का दावा किया जा रहा है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे कहा गया कि अर्जित भूमि का दर निर्धारण हेतु राजस्व विभागीय पत्रांक 1212/रा0 दिनांक 01.08.2008 एवं 1002/रा0 दिनांक 10/10/2009 को अनुपालन करते हुए समाहर्त्ता, पटना द्वारा समाहर्त्ता, पटना कि अध्यक्षता में छः सदस्यीय	

आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रकृति निर्धारण समिति का समाहर्त्ता, पटना के आदेश सं0–84 दिनांक 11.01.12 से किया गया, जिसके आलोक में समिति द्वारा दिनांक 03.02.2012 को स्थल निरीक्षण के पश्चात सर्वसम्मति से विषयगत मौजा कि अर्जनाधीन भूमि को कृषि प्रकृति का माना गया तथा इसी आधार पर दर निर्धारण हेतु समिति द्वारा अनुसंशा की गई। समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर हीं विषयगत मौजा का दर निर्धारित करते हुए वादी सह एवार्डी को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्वेच्छा शपथ पत्र नहीं रहने के कारण 30% सांत्वना राशि के साथ 1,50,000,00.00 (एक करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र निर्धारित दर में सरकारी नियमानूसार 50% राशि जोड़कर 2,25,000,00.00 (दो करोड़ पच्चीस लाख) रूपये मात्र तथा 10.06% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के साथ वादी सह एवार्डी को खाता सं0–39, खेसरा सं0–780, रकवा–0.07294 एकड़ के लिए 100% मुआवजा मो0– 22,98,595.00 (बाईस लाख अन्ठान्वे हजार पांच सौ पन्चान्वे) रूप्ये मात्र दिनांक 26.11.2015 को किया गया है। अतः वादी का अब कोई भी दावा स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में वादी का दावा स्वीकार योग्य नहीं रहने के कारण इसे अस्वीकृत किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है।

31/6/18

आरबीट्रेटर
–सह–
अपर समाहर्त्ता
पटना।